ईमेल द्वारा
आवश्यक

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(कम्प्यूटर कक्ष)

पत्रांक–कम्प्यूटर– 614 /2016–17/ लखनऊः दिनांक 15 जुलाई, 2016

समस्त जनपदीय एवं क्षेत्रीय अधिकारी,
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

कृपया निदेशालय के पत्र संख्या–कम्प्यूटर–139 दिनांक 02.06.2015 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–कम्प्यूटर–270 दिनांक 04.11.2015 का अवलोकन करें, जो उत्तर प्रदेश सरकार की विकास एजेण्डे की योजना पारदर्शी किसान सेवा योजना तथा डी0बी0टी0 प्रकिया के कियान्वयन के सम्बन्ध में है।

उपर्युक्त सन्दर्भ में यह देखने में आया है कि कई जनपदीय अधिकारी विभागीय बैठकों में अथवा दूरभाष से निदेशालय के अधिकारियों से पारदर्शी किसान सेवा योजना तथा डी0बी0टी0 प्रकिया के सन्दर्भ में इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जिससे लगता है उन्होंने इस योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–811 दिनांक 23.07.2014 तथा डी0बी0टी0 प्रक्रिया से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या–कम्प्यूटर–270 दिनांक 04.11.2015 का अध्ययन ही नहीं किया है। जबकि ये दोनों पारदर्शी किसान सेवा योजना के कियान्वयन हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

अस्तु आपसे पुनः निम्न अपेक्षायें की जाती हैः–

1. पारदर्शी किसान सेवा योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–811 दिनांक 23.07.2014 तथा डी0बी0टी0 प्रक्रिया से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या–कम्प्यूटर–270 दिनांक 04.11.2015 जो पारदर्शी किसान सेवा योजना की वेबसाइट upagriculture.com पर संलग्न है, डाउनलोड करके पढ़े, समझें और अनुपालन करें।
2. कृषि विभाग की समस्त योजनाओं में शासनादेश संख्या–811 दिनांक 23.07.2014 द्वारा लाभार्थी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। जिसके अन्तर्गत लाभार्थी का चयन "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धान्त के आधार पर किया जाना है। यदि पहले से पंजीकृत कृषक को लाभ न देकर बाद में पंजीकृत कृषक को लाभ दिया जाता है तो लाभ प्राप्त करने वाले से पूर्व में पंजीकृत कृषकों के अपात्र होने का कारण लाभार्थी चयन के समय वेबसाइट पर अवश्य उल्लिखित किया जाना चाहिए।
3. कृषकों को लाभ देने अथवा डी0बी0टी0 करने से पूर्व पंजीकृत कृषक के विवरण का मिलान मूल अभिलेखों से किया जाना चाहिए तथा अभिलेखों की एक छाया प्रति किसानों का पंजीकरण नम्बर डालते हुए उप कृषि निदेशक के स्तर पर सुरक्षित रखी जानी चाहिए।
4. वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत कई योजनाओं में पंजीकृत किसानों को लाभ तो दिया गया है किन्तु उनका विवरण योजना की वेबसाइट पर अभी तक फीड नही कराया गया है उसे तत्काल फीड कराया जाय।
5. पारदर्शी किसान सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार के विकास एजेण्डे की महत्वाकॉक्षी योजना है जिसकी प्रगति प्रत्येक माह जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रेषित की

जाती है, किन्तु शासन ने जनपदों से प्राप्त सूचना को जब निदेशालय में परीक्षण के लिये भेजा, तो पाया गया कि कई जनपदों ने स्वेच्छा से योजना में किसानों के पंजीकरण के लक्ष्य कम कर दिये हैं अथवा प्रगति बढ़ाकर दिखा दी है, जिसे निदेशालय से शुद्ध कराया गया। विकास एजेण्डे की योजना में त्रुटिपूर्ण प्रगति भेजना अत्यन्त आपत्तिजनक है। चूँकि पारदर्शी किसान सेवा योजना की वेबसाइट पर विकास एजेण्डे की जनपदवार प्रगति लाइव तैयार होती है इसलिये आपको अपने जिलाधिकारी के पास वही रिपोर्ट भेजनी चाहिए जो वास्तविक है और वेबसाइट पर आनलाइन प्रदर्शित हो रही है।

उक्त कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु प्रमुख रूप से उल्लिखित किये गये हैं किन्तु आप सभी शासनादेश संख्या–811 दिनांक 23.07.2014 तथा डी0बी0टी0 प्रक्रिया से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या–कम्प्यूटर–270 दिनांक 04.11.2015 का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की पारदर्शिता की नीति के अनुसार कृषि विभाग की योजनाओं में किसान को अनुदान/लाभ वितरण करायें। किसान वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकास एजेण्डे की "पारदर्शी किसान सेवा योजना" का पूर्ण लगन एवं निष्ठा से क्रियान्वयन करायें।

(मुकेश कुमार श्रीवास्तव)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–कम्प्यूटर– /2016–17 लखनऊ तददिनांक।
प्रतिलिपि–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि वे विकास एजेण्डे की उक्त योजना की मासिक प्रगति को शासन को भेजते समय विभागीय वेबसाइट upagriculture.com पर उपलब्ध आनलाइन विवरण को अवश्य आधार बनायें।
2. प्रमुख सचिव(कृषि), उ0प्र0शासन, कृषि अनुभाग–3, सचिवालय, लखनऊ को सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव (कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग), उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ को इस सूचना के साथ प्रेषित कि पारदर्शी किसान सेवा योजना की प्रगति विभागीय वेबसाइट upagriculture.com पर "विकास एजेण्डे की जनपदवार प्रगति" लिंक पर लाइव उपलब्ध है।
4. समस्त योजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ को इस आशय से कि वे अपने नियंत्रणाधीन योजनाओं में सन्दर्भित शासनादेश एवं कार्यालय ज्ञाप में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन कराते हुए योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन करायें।
5. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(मुकेश कुमार श्रीवास्तव)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।